आवेदन पत्र सं. 80 / 2022
सन्दीप बनाम नगरपालिका खेतड़ी वगै.
निर्णय दिनांक 19/7/22

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, R.A.S.

राजस्व वाद स. 80 / 2022

सन्दीप कुमार पुत्र श्री सन्तकुमार जाति महाजन निवासी ब्राहम्णो का मौहल्ला लालपुर तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.) फोन नं. 9829299750

.... आवेदक

– ब ना म –

1. नगरपालिका खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)
2. नायब तसीलदार सिंघाना/ तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
3. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

.... अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी
धारा – 111 सपठित धारा 128 लैण्ड रेन्वयू एक्ट

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

उपस्थिति –

1. श्री राजेश कुमार यादव , अधिवक्ता आवेदक की ओर से ।
2. अनावेदकगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।

:: निर्णय :: दिनांक –19/7/22

आवेदक की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी इन संक्षिप्ततः अभिवचनो के साथ प्रस्तुत किया गया है कि:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:21:57 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

आवेदन पत्र सं. 80/2022
सन्दीप बनाम नगरपालिका खेतड़ी वगै.
निर्णय दिनांक 19/7/22

1. यह कि वाके ग्राम सिंघाना उप–तहसील सिघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज. स्थित भूमी ख.न. 730/195 रकबा 0.16 है. स्थित है जिसका आवेदक खातेदार है एवं अपनी भूमि पर काबिज व आबाद है।

2. यह कि आवेदक की भूमि ख.न. 730/195 के उत्तर में ख.न. 193 राजकीय गै.मु. नदी की भूमि है तथा दक्षिण में ख.न. 729/195 रकबा 0.44 है. नगरपालिका खेतड़ी के नाम की भूमि है तथा पूर्व में ख.न. 1339 रकबा 0.46 है. सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क है। तथा पश्चिम में भी ख.न. 193 गै.मु. नदी की ही भूमि है।

3. यह कि आवेदक को अनावेदक सं. 2 ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का नोटिस दिया तो आवेदक ने अपनी भूमि ख.न. 730/195 का सीमाज्ञान हेतू आवेदन किया जिस पर पटवारी हल्का डूमोली खुर्द, पटवारी हल्का थली, पटवारी हल्का सिंघाना, पटवारी हल्का मुरादपुर, पटवारी हल्का झारोड़ा की टीम गठित कर दिनांक 16.02.2022 को प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान किया गया जिस पर पड़ोसी खेत ख.न. 729/195 का काबिज छोटेलाल भी उपस्थित रहा एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार की गई लेकिन पुख्ता सीमा चिन्ह कायम नही किये गये लेकिन पुख्ता सीमा चिन्ह कायम नही होने से प्रार्थी को भारी परेशानी है। क्योकि प्रार्थी की भूमि के चारों तरफ राजकीय भूमि है इसलिये अपनी भूमि के पुख्ता सीमा चिन्ह कायम करवाया जाना आवश्यक हुआ है। क्योकि अनावेदक सं. 2 ने पहले भी प्रार्थी को बिना ही सीमाज्ञान के धारा 91 लैण्ड रेवन्यू एक्ट का नोटिस दिया था इसलिए सीमा विवाद का स्थाई रूप से निराकरण हेतू प्रार्थी की भूमि ख.न. 730/195 रकबा 0.16 है. के पुख्ता सीमा चिन्ह कायम किये जाना आवश्यक है।

4. यह कि प्रार्थी की गांव सिंघाना स्थित [illegible] 730/195 की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 16.02.2022 के [illegible] कायम किये जाने आवश्यक है जिससे की प्रार्थी की भूमि [illegible] नही हो एवं प्रार्थी अपनी भूमि की आवारा पशुओं से सुरक्षा कर सके क्यो[illegible] प्रार्थी की भूमि के पश्चिम व उत्तर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:21:57 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

आवेदन पत्र सं. 80/2022
सन्दीप बनाम नगरपालिका खेतड़ी वगै.
निर्णय दिनांक 19/7/22

में नदी है पूर्व में सड़क है तीनों तरफ से आवारा पशुओं की सुरक्षा करने हेतू प्रार्थी राज्य सरकार की तार बाड़ योजनाओं का लाभ उठा सके। इसलिये आवेदक के लिये यह आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

5. यह कि आवेदन पत्र के लिये आधार विवाद प्रार्थी की भूमि की सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार पुख्ता सीमा चिन्ह कायम नही होने एवं नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा अतिचारी बताकर नोटिस दिये जाने एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 16.02.2022 को बनाये जाने से पैदा हुआ है।

6. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमी वाके ग्राम सिंघाना मे स्थित होने एवं आवेदक की खातेदारी की भूमी होने से यह आवेदन पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त हैं।

7. यह कि आवेदन पत्र 2/—रू. कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमानजी की सेवामे पेश हैं।

8. यह कि आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदक का शपथ पत्र पेश हैं।

अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन है कि :—

(क). कि वाके ग्राम सिंघाना स्थित आवेदक की खातेदारी की भूमि ख.न. 730/195 रकबा 0.16 है. का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 16.02.2022 के अनुसार पुख्ता सीमा चिन्ह कायम किये जाने की कृपा करे। व्यवधान पैदा किये जाने पर पुलिस इमदाद में पुख्ता सीमा चिन्ह किंये जाने की कृपा करे।

आवेदन पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई अप्रार्थीगण सं. 1 की ओर से एडवोकेट श्री गणेश कुमार सुरोलिया ने वकालतनामा पेश किया लेकिन कोई जवाब पेश नही किया इसलिए जवाब बन्द किया गया शेष अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहे जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई आवेदकगण को सुना गया राजस्व रिकार्ड एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का अवलोकन किया गया आवेदकगण भूमि 730/195 रकबा 0.16 है का खातेदार है सीमाज्ञान भी करवा चुके है इसलिए सीमा विवाद का स्थाई समाधान किये जाने हेतू आवेदक अपनी भूमि के पुख्ता सीमा चिन्ह कायम करवाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:21:57 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू
जिला झुन्झुनू (राज.)